984
22-2-19

E-2
21/02/19
(संतोष कुमार वैश्य)
सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या-36450/2019-16-3099/12/2019

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 फरवरी, 2019

विषय:-प्रदेश की राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2981/संप्रपप/ई-2(प्रशा0)/2019, दिनांक 22-01-2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश की राजकीय अनुदानित व निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

1. आनलाइन आवेदन प्रक्रिया

(1) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आनलाइन आवेदन का पोर्टल प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह तक यथा-प्रथम व द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को आगामी सत्र के आनलाइन आवेदन हेतु प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

(2) आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण, वर्ग, उपवर्ग, पाठ्यक्रम ग्रुप, केन्द्र के लिए चयनित जनपद आदि समस्त विवरण आनलाइन पंजीकृत कराने होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु कम से कम 50 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी की आयु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में सत्र के प्रारम्भ अर्थात् 01 जुलाई को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए) के अनुरूप होगी। प्रत्येक ग्रुप /पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश के अधीन होगा।

(4) आनलाइन आवेदन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क (वर्तमान में सामान्य व पिछड़ा वर्ग से रू0 300/- व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से रू0 200/-) को आनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(5) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये पंजीकरण शुल्क को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(6) अभ्यर्थी द्वारा किसी भी पाली की प्रवेश परीक्षा में एक से अधिक आवेदन करने (चाहे उनके ग्रुप भिन्न ही क्यों न हो) की दशा में अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2. प्रवेश परीक्षा

प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदों में दो पालियों में प्रातः 9:00 से 12:00 बजे तक (ग्रुप-ए) तथा सांय 2:30 से 5:30 बजे तक (B,C,D,E,F,G,H,I,K,) किया जायेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे। उत्तर के चारों विकल्पों में सहीउत्तर

केवल एक ही होगा। एक से अधिक गोलों को भरने पर उस प्रश्न का उत्तर अमान्य माना जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक निगेटिव अंक दिया जायेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने पर निगेटिव अंक नहीं दिये जायेंगे। काउन्सिलिंग हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा में सामान्य पुरूष वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 25 अंक तथा शेष वर्गों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 1 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की परिषद द्वारा ग्रुपवार यूनिक योग्यताक्रम सूची बनायी जायेगी।

3. **आरक्षण**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शैक्षिक भर्ती हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण के नियम लागू होंगे।

4. **प्रवेश वरीयता**

(1) जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण की हों अथवा उत्तर प्रदेश के निवासी हों अथवा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो।

(2) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमति होना आवश्यक है।

5. **सीटों का आवंटन**

किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उक्त ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प के संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा दिये विकल्प में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो उसके द्वारा वरीयताक्रम में चिन्हित अगले विकल्प के संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जब तक उसके द्वारा दिये समस्त विकल्प समाप्त न हो जायें अथवा उसे कोई आवंटन प्राप्त न हो जाये।

तत्पश्चात अगले वरीयताक्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा, जब तक कि समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची/सीटें समाप्त न हो जाये।

6. **स्वास्थ्य**

प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. **शिक्षण शुल्क**

राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं हेतु शिक्षण शुल्क/छात्रावास शुल्क समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं का शिक्षण शुल्क /छात्रावास शुल्क प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर लिया जायेगा।

8. **आनलाइन काउन्सिलिंग**

(1) आनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के पश्चात संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क (वर्तमान में रू0 250/-) आनलाइन या चालान के माध्यम से जमा करने होंगे, तभी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन पूरा माना जायेगा।

(2) राजकीय तथा अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेशानुसार तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

(3) अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पश्चात संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों को पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से भरा जायेगा। विकल्पों की संख्या असीमित है। प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तित कर सकता है या नये विकल्प जोड़ सकेगा।

(4) अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्था एवं पाठ्यक्रम के विकल्प को वरीयताक्रम व आरक्षण के अनुरूप आवंटन करते हुए सफल अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन पर आवंटन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) अभ्यर्थी को सीट आवंटन मिलने के पश्चात संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की अधिशासी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित (वर्तमान में रू0 3000/-) सिक्योरिटी राशि (seat acceptance fee) के रूप में अपनी लॉगिन से आनलाइन पोर्टल पर जमा करना होगा। जिन अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं होगी, उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। सिक्योरिटी राशि (seat acceptance fee) को अभ्यर्थी के प्रवेशित संस्था को ही भेजा जायेगा। किसी भी दशा में सिक्योरिटी राशि (seat acceptance fee) अभ्यर्थी को वापस नहीं की जायेगी।

(6) प्रत्येक चरण में प्रथमबार आवंटन मिलने के पश्चात अभ्यर्थी को उस चरण की निर्धारित अवधि में उसको काउन्सिलिंग केन्द्र पर जाकर अपने अभिलेखों का परीक्षण परिषद द्वारा नामित काउन्सलर से आनलाइन पोर्टल पर कराना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का परीक्षण नहीं कराया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा उस चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से वह बाहर हो जायेंगे, हालांकि ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण में पुनः पंजीकरण कर काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख निर्धारित अर्हता के अनुरूप नहीं होंगे, उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे उन्हें आवंटित संस्था में प्रवेश या अगले चरणों की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह रहने का विकल्प दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्था में अन्तिम रूप से प्रवेश लेने का चयन करता है, उसे फ्रीज का विकल्प देना होगा तथा जो अभ्यर्थी अगले चरणों के लिए आवंटन हेतु पात्र बना रहना चाहता है, उसे फ्लोट का विकल्प देना होगा।

9. **काउन्सिलिंग के चरण**

(1) अभ्यर्थी को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन आनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम, दिये गये विकल्पों, आरक्षण के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन पांच चरणों में होगा, जिसमें से प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में सीट आवंटन आनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से राजकीय, अनुदानित व निजी संस्थाओं में किया जायेगा। चतुर्थ चरण में राजकीय व अनुदानित संस्थाओं में स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। पांचवे चरण में सीधे प्रवेश के शासनादेश संख्या-2225/सोलह-प्रा0शि0-3-2012, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012, शासनादेश संख्या-1765/सोलह-प्रा0शि0-3-2013-15(58)/2009, दिनांक 08.08.2013 एवं शासनादेश संख्या-93/2018/1073/सोलह-3-2018-15(58)/2009, दिनांक 04 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत आनलाइन पोर्टल को पुनः खोलते हुए सीधे प्रवेश के लिए अनुदानित व निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं की खाली बची सीटों पर मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर आवंटन किया जायेगा।

(2) आनलाइन काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों में जिन अभ्यर्थियों को आवंटन प्राप्त होगा तथा उनके द्वारा सिक्योरिटी राशि व अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली जायेगी व अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प फ्रीज किया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूरी करेंगे। आनलाइन काउन्सिलिंग के तीसरे चरण के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को फ्रीज माना जायेगा व उनके द्वारा उनको आवंटित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा।

(3) काउन्सिलिंग प्रक्रिया में किसी संस्था में आवंटन होने पर संस्था द्वारा यदि अभ्यर्थी को परेशान किया जाता है या प्रवेश नहीं दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद/सहायता केन्द्र द्वारा अभ्यर्थी के

अभिलेखों का परीक्षण कराया जायेगा तथा उसके दावे की जांच कराने के पश्चात परिषद/सहायता केन्द्र द्वारा अभ्यर्थी के अभिलेखों का परीक्षण कराया जायेगा तथा उसकी दावे की जॉच कराने के पश्चात परिषद सहायता केन्द्र में फीस जमा करा दी जायेगी। ऐसी सभी मामलों में सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थी को आनलाइन पोर्टल पर संस्था लॉगिन में फॉर्स्ड अंकन किया जायेगा, जिसे संस्था द्वारा किसी चरण में हटाया नहीं जा सकेगा।

10. <u>काउन्सिलिंग प्रक्रिया निम्नांकित पांच चरणों में पूरी की जायेगी:-</u>

(1) **प्रथम चरण**

प्रथम चरण हेतु अवधि निर्धारित की जायेगी। अभ्यर्थी को सर्वप्रथम काउन्सिलिंग के पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के पश्चात संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प देने होंगे। प्रवेश परीक्षा द्वारा आवंटन की प्रक्रिया आनलाइन पोर्टल पर की जायेगी। आवंटन प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी राशि निर्धारित अवधि में आनलाइन जमा करनी होगी, तत्पश्चात अभ्यर्थी को अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत काउन्सिलिंग केन्द्र पर स्वयं अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर करानी होगी। प्रथम चरण हेतु आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार एवं पाठ्यक्रमवार सीटों का आवंटन प्रस्तर-5 "सीटों का आवंटन"के अनुसार किया जायेगा। अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार उसकी सीट फ्रीज अथवा फ्लोट की जायेगी। फ्रीज का विकल्प देने वाले अभ्यर्थी को संस्था में जाकर प्रवेश की कार्यवाही करनी होगी व संस्थान को प्रवेश की कार्यवाही करने के पश्चात रिपोर्टिंग माड्यूल्स के माध्यम से आनलाइन पोर्टल पर प्रवेशित छात्र/छात्रा की सूचना को अंकित करना होगा। फ्लोट का विकल्प देने वाले अभ्यर्थी अगले चरण के आवंटन हेतु अर्ह माने जायेंगे।

(2) **द्वितीय चरण**

प्रथम चरण समाप्त होने के पश्चात द्वितीय चरण का पंजीकरण खोला जायेगा। इस चरण में काउन्सिलिंग प्रक्रियाओं की अवधि भी निर्धारित रहेगी। इस चरण में प्रथम चरण के आवंटन न प्राप्त हुए अभ्यर्थी, नये पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी व आवंटन प्राप्त ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रथम चरण में फ्लोट का विकल्प दिया है, अर्ह होंगे। अर्ह अभ्यर्थियों को अपने विकल्पों को बदलने का अवसर रहेगा। आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रस्तर-5 "सीटों का आवंटन"के अनुसार आरक्षण प्राविधानों के अधीन की जायेगी। इसके पश्चात अवशेष क्षैतिज आरक्षण की सीटें अपने ऊर्ध्वाधर सीटों में समाहित कर दी जायेगी अर्थात् उपवर्ग की सीटें मूल वर्ग में समाहित करने के पश्चात पुनः आवंटन किया जायेगा। शेष काउन्सिलिंग प्रक्रियायें यथा- सिक्योरिटी फीस, अभिलेख परीक्षण, फ्रीज-फ्लोट का विकल्प, प्रवेश की कार्यवाही आदि प्रथम चरण के अनुसार ही होगा।

(3) **तृतीय चरण**

द्वितीय चरण के समाप्त होने के पश्चात तृतीय चरण का पंजीकरण खोला जायेगा, जिसकी काउन्सिलिंग प्रक्रियाओं की अवधि भी निर्धारित रहेगी। इस चरण में प्रथम व द्वितीय चरण के आवंटन न प्राप्त हुए अभ्यर्थी, नये अभ्यर्थी व पूर्व चरणों में आवंटन प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व चरणों मेंफ्लोट का विकल्प दिया है, अर्ह होंगे। अर्ह अभ्यर्थियों को अपने विकल्पों को बदलने का अवसर रहेगा। इस चरण में द्वितीय चरण की अन्तिम स्थिति के अनुसार आवंटन किया जायेगा, उसके उपरान्त अनावंटित अवशेष सीटों को अनारक्षित करते हुए दोबारा सीट आवंटन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी तथा अभिलेख परीक्षण के लिए पूर्व चरणों के अनुसार काउन्सिलिंग केन्द्र पर जाना होगा। सफल अभिलेख परीक्षण के पश्चात इस चरण में सभी अभ्यर्थी फ्रीज माने जायेंगे तथा उन्हें प्रवेश के लिए आवंटित संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। छात्र/छात्रा के संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात संस्थान को प्रवेश की कार्यवाही करने के पश्चात रिपोर्टिंग माड्यूल्स के माध्यम से आनलाइन पोर्टल पर प्रवेशित छात्र/छात्रा की सूचना को अपने लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से अंकित करना अनिवार्य होगा।

(4) **चतुर्थ चरण: स्पॉट काउन्सिलिंग**

आनलाइन काउन्सिलिंग के तीन चरण समाप्त होने के पश्चात राजकीय व अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से आरक्षण को शिथिल करते हुए आवंटन व प्रवेश किया जायेगा। स्पॉट काउन्सिलिंग संस्था स्तर पर होगी तथा अभ्यर्थी को स्वयं संस्था में उपस्थित होकर स्पॉट काउन्सिलिंग में पंजीकरण कराना होगा। इस प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने संगत ग्रुप में सम्मिलित हो सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों को आनलाइन काउन्सिलिंग में कोई सीट मिली है तथा उन्होंने प्रवेश ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए अर्ह नहीं रहेंगे तथा उनके द्वारा संस्था में जमा की गई शिक्षण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।यह प्रक्रिया तीन दिवसों की होगी। प्रथम दिवस में अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जायेगा व एक समय-सीमा के पश्चात पंजीकरण समाप्त होने के बाद पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर ग्रुपवार योग्यताक्रम सूची बनायी जायेगी। अगले दिवस में योग्यताक्रम सूची के अनुसार ग्रुपवार आवंटन संस्था स्तर पर बनी समिति द्वारा किया जायेगा। द्वितीय दिवस के पंजीकरण रिक्त सीटों के सापेक्ष किये जायेंगे, उनकी ग्रुपवार योग्यताक्रम सूची बनायी जायेगी व तीसरे दिवस में समिति द्वारा आवंटन किया जायेगा। प्रत्येक दिवस में आवंटन के पश्चात प्रवेश की प्रक्रिया उसी दिन पूरी करनी होगी। स्पॉट काउन्सिलिंग के पश्चात राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिशद द्वारा दिवसवार, ग्रुपवार योग्यताक्रम सूची बनाकर आवंटन किया जायेगा। आवंटन व प्रवेश के पश्चात संस्थान द्वारा स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को डाक/ईमेल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर भेजा जायेगा।

(5) पांचवा चरण: सीधे प्रवेश की प्रक्रिया

अनुदानित तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुए शासनादेश संख्या-2225/सोलह-प्रा0शि0-3-2012, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012, शासनादेश संख्या-1765/सोलह-प्रा0शि0-3-2013-15(58)/2009, दिनांक 08.08.2013 एवं शासनादेश संख्या-93/2018/1073/सोलह-3-2018-15(58)/2009, दिनांक 04 जुलाई, 2018 अथवा तत्समय लागू नवीनतम शासनादेश के अधीन अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल नये सिरे से खोला जायेगा। अभ्यर्थी को पोर्टल पर पुनः पंजीकरण कर किसी एक संस्था व पाठ्यक्रम का विकल्प देना होगा। इस प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षा में नहीं शामिल अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों का उस पाठ्यक्रम के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मेरिट के अनुसार संस्थावार, पाठ्यक्रमवार आवंटन किया जायेगा। यह आवंटन कुल तीन से चार चक्रों में किया जायेगा। प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थी द्वारा अपना संस्था व पाठ्यक्रम का विकल्प बदले जाने का अवसर रहेगा। आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर अभिलेख परीक्षण सफलतापूर्वक करवाने के पश्चात प्रवेश की कार्यवाही संस्था द्वारा की जायेगी। प्रवेश की कार्यवाही के पश्चात संस्था द्वारा आनलाइन पोर्टल पर प्रवेशित छात्र/छात्रा की सूचना को अपने लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से अंकित करना अनिवार्य होगा।

2. काउन्सिलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया हेतु निर्धारित किये गये उपरोक्त चरणों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा, जिससे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि (वर्तमान में शैक्षिक सत्र के अगस्त माह की 15 तारीख) तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

3. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों से आबद्ध होंगे, जो विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करें या लागू करें।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर ।
2-सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2-अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
3-समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा)।
4- प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन)
विशेष सचिव

कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0,
1, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ

संख्या : 3137 /संप्रपप/ई0–2(प्रशा0)/2019, दिनांक : 06 मार्च, 2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक /डिप्लोमा संस्थाएं, उ0प्र0।

06/03/19
(एस0के0 वैश्य)
सचिव